संख्या-1150/2026/464/22-2-2026-17(210)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 01 सितम्बर,2026

विषयः- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फजरूद्दीन पुत्र श्री असरफ, निवासी जनपद-हापुड़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 09-02-2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी फजरूद्दीन पुत्र श्री असरफ, जो ग्राम- फूलगढ़ी कोटला सादात, थाना-हापुड़ देहात, जनपद-हापुड़ का निवासी है। दिनांक 28.12.2017 को बन्दी ने 05 वर्ष कु० पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-11/2018, भा0द0वि0 की धारा-06 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ के दण्डादेश दिनांक 03.09.2022 द्वारा आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2025 तक अपरिहार 07 वर्ष, 08 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 00 माह, 21 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, हापुड द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध से समाज पर व्यापक प्रभाव होने, बन्दी समय पूर्व बाहर आने पर पुनः अपराध कारित कर सकता है इस बात से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी उग्र स्वभाव का है पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा पुलिस अधीक्षक, हापुड़ की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 04.09.2025 तक बन्दी की आयु 42 वर्ष एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 04.09.2025 तक अपरिहार 07 वर्ष, 08 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 00 माह 21 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति 05 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किये जाने तथा पुलिस अधीक्षक / जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फजरूद्दीन (बन्दी संख्या-1209/2023) पुत्र श्री असरफ, निवासी जनपद-हापुड़ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1150/2026/464(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।